माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा नागौर में 2 अक्टूबर, 2009 को की गई घोषणाओं की क्रियान्विति रिपोर्ट

पैरा	बजट भाषण की घोषणा	कियान्विति	Status
359	पंचायती राज संस्थाओं में वार्ड पंच के 40 से 75 रूपये, पंचायत समिति सदस्य के 75 से 100 रूपये, जिला परिषद सदस्य के 90 से 125 रूपये, सरपंच के 1000 से 3000 रूपये, पंचायत समिति प्रधान के 2600 से 5000 रूपये एवं जिला प्रमुख के 4000 से 7500 रूपये मानदेय बढाने के सम्बन्ध में।	उक्त घोषणा के अनुसार सरपंच के 1000 से 3000 रूपये, पंचायत समिति प्रधान के 3100 से 5000 रूपये एवं जिला प्रमुख के 5100 से 7500 रूपये मानदेय तथा पंचायती राज जनप्रतिनिधियों में सदस्य, ग्राम पंचायत के 50 से 75 रूपये, पंचायत समिति सदस्य के 75 से 100 रूपये, जिला परिषद सदस्य के 90 से 125 रूपये बैठक भत्ते में वृद्धि किये जाने के आदेश विभागीय अधिसूचना कमांक 7387 दिनांक 22.10.09 द्वारा जारी किये जा चुके है।	क्रियान्वित
357	युवाओं को पालिकाओं में आरक्षण दे दिया गया है अब पंचायतों में भी आरक्षण दिया जायेगा।	घोषणा की क्रियान्विति हेतु, अध्यादेश जारी हो चुका है। परन्तु डी बी सिविल रिट याचिका संख्या 15303/2009 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 7.12.09 " In any case horizontal reservation should not be exceed to more then 50% " की अनुपालना में विभागीय आदेश कमांक 4354 दिनांक 17.12.09 द्वारा फिलहाल स्थगन के आदेश दिये गये।	क्रियान्वित (कोर्ट स्टे)
353	जिला मुख्यालय पर पंचायती राज स्मारक स्थल पर शिलालेख लगेगा।	शिलालेखों पर लिखे जाने वाली विषय वस्तु के प्रारूप मा0 मुख्यमंत्री महोदय के कार्यालय में विचाराधीन है। अनुमोदित प्रारूप प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी।	प्रक्रियाधीन
352	प्रदेश में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषदों को 16 विषय के अधिकार मिलेंगे	नीतिगत दस्तावेज के तहत प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं को 73वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत अधिकार दिये जाने के संबंध में 5 विभागों क्रमशः प्रारम्भिक शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला स्तर तक की निधियों, गतिविधियों एवं स्टॉफ को प्रभावी रूप से संचालित करने के लिए विस्तृत आदेश दिनांक 02.10.2010 को जारी कर दिये गये। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 02.10.2010 द्वारा हस्तान्तरित गतिविधियों एवं स्टॉफ आदि के क्रियान्वयन के सुचारू रूप से संपादित करने व हस्तान्तरण को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु तीन सदस्यीय मंत्रिगणों की समिति का गठन किया गया है। इसी क्रम में जिला स्तर पर स्थानीय समस्याओं के समाधान हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया गया है।	क्रियान्वित

प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2010 के शिविर में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पंचायती राज से सम्बन्धित की गई घोषणाओं की कियान्विति

क. सं.	घोषणा संख्या	घोषणा	कियान्विति प्रगति का विवरण	वर्तमान स्थिति
1	359	प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2010 के शिविर में उ□स्थित जन समुदाय द्वारा ग्राम □चायत रामरतन□ुरा के भवन का जीर्ण-शीर्ण ह□ने का उल्लेख कर नये भवन की मांग की गई। माननीय मुख्यमंत्री मह□दय द्वारा शिविर में ग्राम □चायत रामरतन□ुरा में नये □चायत भवन के निर्माण की घ□षणा की गई।	ग्राम □चायत रामरतन□ुरा □चायत समिति बस्सी ज़िला जय□ुर मे नवीन □चायत भवन के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 23.06.2011क□ जारी कर दी गई है ! ग्राम □चायत रामरतन□ुरा □चायत समिति बस्सी ज़िला जय□ुर मे नवीन □चायत भवन के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 23.6.2011 क□ जारी कर दी गई है ! जिला □रिषद कार्यालय से उक्त कार्य की वित्तीय स्वीक़ृति क्रमांक 885 दिनांक 8.8.2011 क□जारी की गई है।	**प्रक्रियाधीन**

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

कमांकः–एफ951(19) (41) परावि/लेखा/नि0आ0/बजट घोषणा/09–10/7387 जयपुर,दि.:–22.10.09

–: अधिसूचना :–

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 27 से 30 के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी अधिसूचना कमांकः–एफ 951(19) (41) परावि/लेखा/ नि0आ0/बजट घोषणा/09–10/ 6439 दिनांक 01.9.09 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियो को देय मानदेय एवं बैठक भत्तों की दरों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:–

मानदेय की दरें :–

जन प्रतिनिधि का पद नाम	वर्तमान में देय दर रू. (दि.1.9.09 से प्रभावी)	दि.2.10.09 को की गई घोषणानुसार बढाई गई दर रू.	दि.2.10.09 को की गई घोषणानुसार बढाई गई दर से अन्तर राशि
1	2	3	4
जिला प्रमुख, जिला परिषद	5100/–	7500/–	2400/–
प्रधान, पंचायत समिति	3100/–	5000/–	1900/–
सरपंच, ग्राम पंचायत	1000/–	3000/–	2000/–

बैठक भत्ता की दरें :–

जन प्रतिनिधि का पद नाम	वर्तमान में देय दर रू. (दि.1.9.09 से प्रभावी)	दि.2.10.09 को की गई घोषणानुसार बढाई गई दर रू.	दि.2.10.09 को की गई घोषणानुसार बढाई गई दर से अन्तर राशि
1	2	3	4
सदस्य, जिला परिषद	90	125	35/–
सदस्य, पंचायत समिति	75	100	25/–
सदस्य, ग्राम पंचायत	50	75	25/–

कालम सं. 4 में अंकित वृद्दि राशि का भुगतान नरेगा के प्रशासनिक चार्जेज मद से प्रभार्य होगा।

उक्त संशोधित दरें दिनांक 02.10.09 से प्रभावी होंगी ।

यह अधिसूचना वित्त (व्यय–5) विभाग की आई.डी.संख्या 330900356 दि. 14.10.09 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है ।

राज्यपाल के आदेश से

(आर.के.मीणा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपीः—

1. अधीक्षक,राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,राज. जयपुर को राजस्थान गजट पत्र भाग–4 में कृपया तत्काल प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है ।
2. सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदय , राजस्थान जयपुर ।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,राजस्थान, जयपुर ।
4. निजी सचिव ,माननीय राज्यमंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,राज. जयपुर ।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदया, राज. जयपुर ।
6. सचिव राजस्थान विधान सभा जयपुर ।
7. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर ।
8. आयुक्त, ई.जी.एस., राजस्थान, जयपुर ।
9. शासन उपसचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग, राज. जयपुर ।
10. शासन उपसचिव, वित्त (बजट) विभाग, राज. जयपुर ।
11. विधी (समन्वय) विभाग को तीन प्रतियों सहित ।
12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी /अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त ।
13. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राज. जयपुर को पॉच अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
14. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त ।
15. आचार्य ,ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र मण्डोर(जोधपुर), अजमेर एवं डूँगरपुर को पॉच–पॉच अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
16. मुख्य लेखाधिकारी मुख्यालय ।
17. उप शासन सचिव प्रशासन/प्रशिक्षण मुख्यालय ।
18. सम्पादक, राजस्थान विकास मुख्यालय को राजस्थान विकास पत्रिका में प्रकाशनार्थ ।

शासन सचिव
(पंचायती राज)